आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदनकर्ताओं के लिए पात्रता/दिशा निर्देश

क्र.सं.	पद नाम	पात्रता
1	प्रधानाचार्य	राजकीय सी.सैकण्डरी स्कूल के प्राचार्य या समकक्ष पद।
2	व्याख्याता	सम्बन्धित विषय में स्नात्कोत्तर उपाधि तथा बी.एड.
3	वरि.अध्यापक ग्रेड–II	स्नातक उपाधि मय बी.एड
4	अध्यापक ले–2	STC एव बी.एड तथा राजस्थान शिक्षा सेवा के कार्मिक जिन्हें अध्यापक लेवल–2 के पद पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो।
5	शारीरिक शिक्षक	राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा में कार्यरत जिन्हें तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक।
6	पुस्तकालय अध्यक्ष	पुस्तकालयाध्यक्ष की योग्यताधारक

दिशा निर्देशः–

1. आवेदक द्वारा विभाग के निर्धारित आवेदन प्रारूप को साफ सुथरे अक्षरों में भरे।
2. केवल वे ही कार्मिक आवेदन करें जो वर्तमान में राज्य सेवा के शिक्षा विभाग में सेवारत है। कार्मिक केवल एक ही स्थान से आवेदन करे अन्यथा आवेदन निरस्त माना जायेगा।
3. शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत कार्मिक प्रतिबंधित जिलों में स्थित आवासीय विद्यालयों के लिए ही आवेदन करे, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जायेगा।
4. वेबसाईट पर बताए गए रिक्त पद अनुमानित है तथा उनमें कमी या वृद्धि संभावित है।
5. पद क्रमांक 1 व 2 के लिये उनके समक्ष ग्रेड के अधिकारी नही मिलने पर उनसे नीचे वाले ग्रेड अधिकारियों पर भी विचार किया जा सकता है, किन्तु उन्हे अपने मूल पद का उल्लेख अवश्य करना होगा।
6. विशेष योग्यताधारी कार्मिकों को अनुभव में छूट दिये जाने एवं अन्य समस्त अधिकार निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा सचिव राईस के पास सुरक्षित है।
7. कार्मिक अपनी योग्यता, अनुभव एवं किये गये विशिष्ट कार्यों से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न करे तथा साक्षात्कार में बोर्ड के समक्ष लेकर उपस्थित होवें।
8. कार्मिक की आयु विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि तक 55 वर्ष से अधिक न हो।
9. प्रतिनियुक्ति पर चयनित कार्मिकों को मूल वेतन का 15 प्रतिशत विशेष वेतन भत्ता देय होगा।
10. प्रतिनियुक्ति पर चयनित कार्मिकों को विद्यालय परिसर में बने आवासों में ही रहना होगा।
11. बालिका विद्यालयों में समस्त पद महिला कार्मिकों द्वारा भरे जावेंगे। महिला कार्मिक के उपलब्ध न होने की स्थिति में ही पुरूष कार्मिक के चयन पर विचार किया जावेगा।
12. चयन से पूर्व अथवा पश्चात् कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
13. प्रारम्भ में प्रतिनियुक्ति 2 वर्ष के लिए होगी। सेवायें संतोषप्रद पाये जाने पर प्रतिनियुक्ति आगे बढाई जा सकती है।
14. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवाऐं संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है।
15. ऐसे कार्मिक जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है/विचाराधीन है या जिनके सेवा अभिलेख में विपरीत टिप्पणियां अंकित हैं, वे कार्मिक आवेदन करने के पात्र नहीं है।

42

16. समस्त मामलों में किसी वाद के होते हुए अन्तिम निर्णय का अधिकार निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं पदेन सचिव, राईस को होगा।